



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

65 ज्ञानन्द कुमार मरती बनाम लरवी लौरा वगैरह

| क्र०/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|-----------|---|----------------|
| | <p>अभिलेख सं०-एम्... 50.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>गौनाहाउ</u> के अप्राथमिकी सं०-15/18 दिनांक-17-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>जिन्तु गौना जगत</u> खाता न० 195 ब्लॉक न० 226 उरकणा 2 खकड 2 मि पर उत्पन्न विवाद के संवेध में समय पत्र मै तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उरसे/उनसे प्रत्येक को 10000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उरसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>25-5-18</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p style="margin-top: 20px; text-align: center;"> <u>ज्ञानलौरा उपस्थापित। समय पत्र उपस्थापित। समय पत्र जमानत दारिगत करे।</u> <u>दिनांक 11-06-18 को रखे।</u> </p> | |

25-05-18


25/5/18

तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उपस्थित क्रमांक ०१ अनुपस्थित । प्रथम पल
के गरी आगे के कारण अधिवक्ता द्वारा
गवारी हेतु अगली तिथि की मांग की
गई । दिनांक ०५-११-१८ को रखे ।

26/11/18

०५-११-१८

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पल
अधिवक्ता द्वारा द्वितीय पल क्रमांक ०१
उपस्थित क्रमांक ०२ अनुपस्थित । प्रथम पल
गवारी अनुपस्थित । प्रथम पल अधिवक्ता
द्वारा गवारी हेतु अगली तिथि की मांग
की गई । दिनांक ३०-११-१८ को रखे ।

05/11/18

३०-११-१८

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पल अधिवक्ता
द्वारा द्वितीय पल क्रमांक ०१ उपस्थित अन्य
अनुपस्थित । उक्त वाद में ६ (छ) गांठ की
अवधि होने से मुकी से अर्थात् वाद काय-
बाधित हो गया है। उक्त वाद में अभिलेख
की कार्टाई बन्द की जाती है।

30/11/18